

अध्याय III: निगम कर से संबंधित निर्धारणों का विश्लेषण

3.1 प्रस्तावना

3.1.1 हमने इस प्रतिवेदन के अध्याय I में दस वर्ष की अवधि के साथ निगमनात्मक परिप्रेक्ष्य में रिपोर्टिंग वर्ष, वित्तीय वर्ष 12 के विभिन्न वित्तीय (राजस्व) समुच्चयों का एक सम्पूर्ण चित्रण प्रस्तुत किया है। राजस्व संग्रहण के संदर्भ में सामान्य मुद्दों से संबंधित विभिन्न भागों को इसमें दर्शाया गया है और यह क्षेत्रीय संरचनाओं में निर्धारण अधिकारी(यों) द्वारा पूरे किए गए निर्धारणों की अनुपालन लेखापरीक्षा से सामने आए हैं। अध्याय III और IV में, कॉरपोरेट और गैर कॉरपोरेट निर्धारितियों के निर्धारणों में पाई गई कमियों को बताते हुए हमने अध्याय I में चिन्हित सामान्य मुद्दों के साथ इन कुछ कमियों को जोड़ने की भी कोशिश की है।

3.1.2 अध्याय III में मंत्रालय को मई और अक्टूबर 2012 के बीच जारी ₹ 2,271.32 करोड़ (₹ 2,236.26 करोड़ के कम प्रभार के 316 मामले और ₹ 35.06 करोड़ के अतिप्रभार²⁹ से संबंधित नौ मामले) के कर प्रभाव के साथ निगम कर से संबंधित उच्च मूल्य के 325 मामलों पर चर्चा की गई है। तालिका 3.1 में त्रुटियों की व्यापक श्रेणियों और उनके कर प्रभाव का विवरण दर्शाया गया है:

तालिका सं. 3.1: त्रुटियों की श्रेणी और कर प्रभाव

श्रेणी	मामले	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)
क. निर्धारणों की गुणवत्ता	88	486.02
ख. कर रियायत/छूट/कटौती का प्रशासन	162	1,412.72
ग. चूकों के कारण निर्धारणों से छूटी आय	66	337.52
घ. कर/ब्याज का अतिप्रभार	9	35.06
कुल	325	2,271.32

3.1.3 प्रत्येक व्यापक श्रेणी के अन्तर्गत, हम समान प्रकृति की गलतियों को उजागर करने के उद्देश्य से उप-श्रेणी दर्शाते हैं। प्रत्येक उप-श्रेणी अधिनियम का हवाला देते हुए एक प्रस्तावना के साथ शुरू होती है, जिसके बाद महत्वपूर्ण मामले(लों) का वर्णन किया जाता है।

²⁹ सही आंकड़े अपनाने में त्रुटियों, आय की गणना में अंकगणितीय त्रुटियों, कर/ब्याज इत्यादि में गलत दरें लगाने के कारण अतिप्रभार लगाया गया।

3.2 निर्धारणों की गुणवत्ता

3.2.1 निर्धारण अधिकारियों ने अधिनियम में स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद निर्धारणों में त्रुटियाँ की। गलत निर्धारणों के इन मामलों से आयकर विभाग में आन्तरिक नियंत्रणों में कमियों का पता चलता है जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। तालिका 3.2 उन त्रुटियों की उप-श्रेणी दर्शाती है जिनसे निर्धारणों की गुणवत्ता प्रभावित हुई।

तालिका 3.2: निर्धारणों में त्रुटियों का विवरण

उप श्रेणी	मामले	टीई (₹ करोड़ में)	राज्य
क. आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ	42	383.85	आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, और पश्चिम बंगाल
ख. ब्याज लगाने में गलतियाँ	23	46.01	असम, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, और पश्चिम बंगाल
ग. अधिक या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदायों पर ब्याज	11	31.35	दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल
घ. कर और अधिभार लगाने में गलत दर का प्रयोग	8	18.20	दिल्ली महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल
ङ. अपीलीय आदेश का पालन करते समय निर्धारणों में अशुद्धियाँ	4	6.61	महाराष्ट्र और राजस्थान
जोड़	88	486.02	

3.2.2 आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ

हम ऐसे सात मामले सोदाहरण नीचे दे रहे हैं:

धारा 143(3) निर्धारण अधिकारियों द्वारा आय का सही तरीके से मूल्यांकन और निर्धारण करने का प्रावधान करती है। विभिन्न प्रकार के दावों की और लेखों, रिकार्डों और विवरण के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों के निर्धारणों की संवीक्षा निर्धारणों में विस्तृत रूप से जाँच की जानी अपेक्षित है। सीबीडीटी ने भी इस संबंध में समय-समय पर निर्देश जारी किए हैं।

3.2.2.1 डीआईटी-1 प्रभार, दिल्ली में, अक्टूबर 2010 में ₹ 267.18 करोड़ पर संवीक्षा के बाद निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण वर्ष (नि.व.) 08 के लिए **द बैंक आफ टोक्यो मितसुबिशी यूएफजे लिमिटेड** का निर्धारण पूरा किया किन्तु कर की गणना करते समय गलती से आय को ₹ 201.69 करोड़ ले लिया, जैसी कि फार्म आईटीएनएस-150 में गणना की गई थी। गलती के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 39.70 करोड़ का कर कम

लगाया गया। मंत्रालय ने गलती को स्वीकार किया और धारा 154 के अन्तर्गत सुधार किया।

3.2.2.2 सीआईटी-IV कोलकाता प्रभार, पश्चिम बंगाल में, निर्धारण अधिकारी ने ₹ 35.83 करोड़ की हानि पर दिसम्बर 2008 में संवीक्षा के बाद निर्धारण वर्ष 07 के लिए **जेनसन और निकलसन (इं) लिमिटेड** का निर्धारण पूरा करते समय "असाधारण मदों" की ओर लाभ और हानि खाते को डेबिट किए गए ₹ 89.87 करोड़ अस्वीकृत किए, किन्तु इसे ₹ 8.99 करोड़ के रूप में अपना लिया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 35.83 करोड़ की हानि की अधिक गणना की गई जिसमें ₹ 12.06 करोड़ के ब्याज और संभावित कर प्रभाव सहित ₹ 32.23 करोड़ का कम कर सम्मिलित था जिससे ₹ 45.05 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ।

3.2.2.3 सीआईटी- IV मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में निर्धारण अधिकारी ने **हिन्दुस्तान आरगेनिक केमिकल्स लिमिटेड** के मामले में कर योग्य आय की गणना के समय दिसम्बर 2010 में संवीक्षा के बाद निर्धारण वर्ष 09 के लिए ₹ 35.83 करोड़ जैसाकि निर्धारिती द्वारा गणना की गई थी की आय के बजाय ₹ 38.68 करोड़ की हानि के साथ गणना प्रारंभ की और ₹ 13.77 करोड़ के अस्वीकरण किए। ₹ 35.83 करोड़ के सही आंकड़े को आय के रूप में अपनाने में गलती के परिणामस्वरूप ₹ 74.51 करोड़ की हानि की अधिक गणना हुई जिसमें ₹ 25.33 करोड़ का संभावित कर कम लगाया गया था। मंत्रालय ने गलती को स्वीकार किया और धारा 154 के अन्तर्गत इसमें सुधार किया।

3.2.2.4 सीआईटी जामनगर प्रभार, गुजरात में निर्धारण अधिकारी ने दिसम्बर 2009 में संवीक्षा के बाद निर्धारण वर्ष 08 के लिए **सौराष्ट्र सीमेंट लिमिटेड** के मामले में कर योग्य आय की गणना करते समय जैसा कि निर्धारिती द्वारा वापिस की गई आय के बजाय गलती से ₹ 50.77 करोड़ की हानि अपना ली और उसपर ₹ 6.06 करोड़ के अस्वीकरण किए। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 56.83 करोड़ की हानि की अधिक गणना हुई जिसमें ₹ 19.13 करोड़ का संभावित कर प्रभाव सम्मिलित था। मंत्रालय ने गलती को स्वीकार किया और धारा 154 के तहत कार्रवाई की।

3.2.2.5 डीआईटी- I प्रभार, दिल्ली में यूएस डालर 1.43 करोड़ की आय पर अक्टूबर 2010 में संवीक्षा के बाद पूरे किए गए निर्धारण वर्ष 08 के लिए **एस्पेक्ट साफ्टवेयर इंक** के निर्धारण में निर्धारण अधिकारी ने यूएस डालर में आय की गणना की किन्तु आय कर गणना फार्म में आय कर के नियम 115 के अन्तर्गत लागू विनिमय दरों के अनुसार भारतीय रूपयों में परिवर्तित किए बिना कर की मांग की। गलती के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 18.97 करोड़ का कम कर लगाया गया। मंत्रालय ने गलती को स्वीकार किया और धारा 154 के अन्तर्गत सुधार किया।

2013 की प्रतिवेदन संख्या 15 (प्रत्यक्ष कर)

3.2.2.6 सीआईटी- एलटीयू प्रभार, दिल्ली में, ₹ 880.92 करोड़ की आय पर दिसम्बर 2010 में संवीक्षा के बाद निर्धारण वर्ष 09 के लिए **द ओरियंटल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड** का निर्धारण पूरा करते समय, निर्धारण अधिकारी ने धारा 14ए (नियम 8डी के साथ पठित) के अन्तर्गत छूट प्राप्त आय से संबंधित व्यय के रूप में ₹ 36.22 करोड़ अस्वीकृत किए जिसके प्रति केवल ₹ 5.38 करोड़ ही वापिस जोड़े गए थे। इसके अतिरिक्त, निर्धारण अधिकारी ने दिसम्बर 2010 में धारा 154 के अन्तर्गत संशोधन के समय गलती को नहीं सुधारा। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 30.84 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ब्याज सहित ₹ 13.94 करोड़ का कर कम लगाया गया। *आयकर विभाग ने धारा 154 के अन्तर्गत गलती का सुधार किया (मार्च 2012)।*

3.2.2.7 सीआईटी-1 प्रभार, दिल्ली में निर्धारण अधिकारी ने दिसम्बर 2008 में संवीक्षा के बाद निर्धारण वर्ष 07 के लिए **बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड** की आय की गणना करते समय निर्धारण वर्ष 05 से संबंधित ₹ 18.60 करोड़ की आय को निर्धारण वर्ष 07 में अनावशोषित हानि के रूप में लिया और गलती से इसे अग्रेषित करने की अनुमति दे दी। इस गलत अग्रेषित हानि में ₹ 12.52 करोड़ का संभावित कर प्रभाव सम्मिलित था। *मंत्रालय ने गलती को स्वीकार किया और धारा 154 के अन्तर्गत सुधार किया।*

3.2.3 ब्याज लगाने में त्रुटियाँ

हम पांच मामले सोदाहरण नीचे दे रहे हैं:

अधिनियम सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर निर्धारितियों द्वारा की गई विभिन्न चूकों के लिए ब्याज लगाने का प्रावधान करता है।

3.2.3.1 सीआईटी डिब्रूगढ़ प्रभार, असम में वास्तव में संवीक्षा के पश्चात् नवम्बर 2007 में पूरे किए गए निर्धारण वर्ष 06 और 07 के लिए **ऑयल इंडिया लिमिटेड** के निर्धारणों का पुनः अवलोकन करते समय निर्धारण अधिकारी ने निर्धारितियों को दो वर्षों के लिए क्रमशः ₹ 96.98 करोड़ और ₹ 494.33 करोड़ का मांग ज्ञापन अप्रैल 2010 में जारी किया। निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण वर्ष 08 के लिए प्रतिदाय के प्रति जुलाई 2010 में माँगों का पूरा समायोजन किया किन्तु मई 2010 से जुलाई 2010 की अवधि के लिए कर मांग के भुगतान/समायोजन में विलंब के लिए ब्याज नहीं लगाया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 17.74 करोड़ का ब्याज नहीं लगा। *मंत्रालय ने गलती को स्वीकार कर सुधार किया और ब्याज की राशि संग्रहित की (अगस्त 2011)।*

3.2.3.2 डीआईटी (आईटी) कोलकाता प्रभार, पश्चिम बंगाल में दिसम्बर 2008 में संवीक्षा के बाद निर्धारण वर्ष 06 के लिए **एबीएन एमरो बैंक** का निर्धारण पूर्ण होने के बाद निर्धारण अधिकारी ने ₹ 50 करोड़ का एक मांग ज्ञापन जारी किया। संशोधन पर आयकर विभाग ने जनवरी 2009 में मांग में ₹ 50.80 करोड़ तक की वृद्धि की। निर्धारण

अधिकारी ने निर्धारण वर्ष 08 के लिए प्रतिदाय के प्रति फरवरी 2009 और मई 2009 में मांग का पूरी तरह समाशोधन किया किन्तु कर के भुगतान में विलम्ब³⁰ के लिए ब्याज नहीं लगाया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.02 करोड़ का ब्याज नहीं लगाया गया। *मंत्रालय ने गलती को स्वीकार किया और धारा 154 के अन्तर्गत सुधार किया।*

3.2.3.3 सीआईटी-V प्रभार, दिल्ली में ₹ 86.21 करोड़ की आय पर दिसम्बर 2009 में संवीक्षा के बाद पूरे किए गए निर्धारण वर्ष 09 के लिए **आरएचसी होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड (पहले सोलारिस फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ज्ञात)** के निर्धारण में कर मांग की गणना करते समय निर्धारण अधिकारी ने अग्रिम कर के भुगतान में विलम्ब के लिए ब्याज की ₹ 5.35 करोड़ की सही राशि के बजाय ₹ 4.54 करोड़ प्रभारित किए। इसके अलावा अधिभार, शिक्षा उपकर और उच्च शिक्षा उपकर की क्रमशः 10 प्रतिशत, 2 प्रतिशत और 1 प्रतिशत की लागू दरों को भी नहीं लगाया गया था। इन गलतियों के परिणामस्वरूप ₹ 3.47 करोड़ का कर कम लगाया गया। *मंत्रालय ने स्वीकारा और धारा 154 के अन्तर्गत गलती में सुधार किया (सितम्बर 2011)।*

3.2.3.4 सीआईटी-I पुणे प्रभार, महाराष्ट्र में ₹ 189.87 करोड़ की आय पर दिसम्बर 2010 में संवीक्षा के बाद निर्धारण वर्ष 08 के लिए निर्धारण अधिकारी ने **बजाज एलियंस जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड** का निर्धारण पूरा किया गया और अप्रैल 2007 से दिसम्बर 2010 की अवधि के लिए जिसमें निर्धारण पूरा किया गया था ₹ 4.45 करोड़ का ब्याज लगाने के बजाय, अप्रैल 2007 से अक्टूबर 2007 की अवधि के लिए जिसमें निर्धारिती ने स्व-निर्धारित कर का भुगतान किया ₹ 1.29 करोड़ का ब्याज लगाया। इस गलती के कारण ₹ 3.15 करोड़ का ब्याज कम लगाया गया। *मंत्रालय ने इसे स्वीकारा और धारा 154 के अन्तर्गत गलती में सुधार किया।*

3.2.3.5 सीआईटी एलटीयू प्रभार, दिल्ली में निर्धारण अधिकारी ने ₹ 476.80 करोड़ की आय पर नवम्बर 2010 में संवीक्षा के बाद निर्धारण वर्ष 08 के लिए **नेसले इंडिया लिमिटेड** के निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय सार प्रक्रिया के बाद मार्च 2009 में निर्धारिती को ₹ 11.49 करोड़ के अधिक प्रतिदाय पर धारा 234 डी के अन्तर्गत ब्याज नहीं लगाया। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 1.21 करोड़ का ब्याज नहीं लगाया गया। *आयकर विभाग ने धारा 154 के अन्तर्गत गलती को सुधारा (मार्च 2012)।*

³⁰ जनवरी 2009 से फरवरी 2009 की अवधि के लिए और अप्रैल 2009 से मई 2009 के लिए संशोधित, अतिरिक्त मांग पर

3.2.4 अत्यधिक या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदायों पर ब्याज

हम ऐसे दो मामले सोदाहरण नीचे दे रहे हैं:

यदि प्रतिदाय की राशि नियमित निर्धारण या सार रूप में निर्धारित कर के दस प्रतिशत से कम न हो तो धारा 244ए (1) प्रतिदाय पर ब्याज का प्रावधान करती है।

3.2.4.1 सीआईटी-एलटीयू चेन्नई प्रभार, तमिलनाडु, में निर्धारण अधिकारी ने ₹ 439 करोड़ की आय पर दिसम्बर 2009 में संवीक्षा के बाद निर्धारण वर्ष 08 के लिए चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का निर्धारण पूरा करते समय दिसम्बर 2009 में जाँच निर्धारण पूर्ण होने के तीन माह बाद ₹ 9.69 करोड़ के ब्याज सहित 12 मार्च 2009 को सार निर्धारण स्थिति पर गणना किए गए ₹ 136.44 करोड़ के प्रतिदाय के प्रति निर्धारिती को 31 मार्च 2010 को ₹ 18.94 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 170.20 करोड़ का प्रतिदाय दिया। प्रतिदाय के भुगतान में विलम्ब के परिणामस्वरूप ₹ 6.31 करोड़ के ब्याज का अधिक भुगतान हुआ। *मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया।*

3.2.4.2 सीआईटी एलटीयू प्रभार, दिल्ली, में निर्धारण अधिकारी ने दिसम्बर 2009 में संवीक्षा के बाद निर्धारण वर्ष 07 के लिए महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड का निर्धारण पूरा किया जिसमें ₹ 1725.10 करोड़ की आय का निर्धारण किया गया और धारा 234 डी के अन्तर्गत प्रतिदाय पर ₹ 8.36 करोड़ के ब्याज की वापसी और ₹ 9.28 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 563.57 करोड़ की मांग की गई। कर मांग की गणना करते समय, निर्धारण अधिकारी ने अक्टूबर 2008 और फरवरी 2009 में किए गए प्रतिदायों पर अनुमत ब्याज पर विचार नहीं किया। गलती के परिणामस्वरूप प्रतिदाय पर अनुमत ₹ 3.97 करोड़ के ब्याज की कम वापसी प्राप्त हुई। इसके अलावा, आयकर विभाग ने धारा 234 डी के अन्तर्गत ₹ 30.89 करोड़ के अतिरिक्त प्रतिदायों पर ₹ 2.13 करोड़ का ब्याज नहीं लगाया।

3.2.5 अपीलीय आदेशों का पालन करते समय निर्धारण में त्रुटियाँ

हम ऐसे दो मामले सोदाहरण नीचे दे रहे हैं:

धारा 254 के अन्तर्गत एक व्यथित निर्धारिती निर्धारण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध सीआईटी (अपील) को अपील कर सकता है, जो अपीलीय आदेश में दिए गए निर्देशों का अनुपालन करेगा। इसके अतिरिक्त, तथ्य की शंका और आईटीएटी के कानून पर भी अपील की अनुमति दी जाती है। एक अपीलीय आदेश के कार्यान्वयन में किसी भी गलती के परिणामस्वरूप आय का कम निर्धारण/अधिक निर्धारण हो सकता है।

3.2.5.1 सीआईटी सेन्ट्रल II मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में निर्धारण अधिकारी ने इस आधार पर ₹ 6.67 करोड़ की अस्वीकृति के बाद कि यह राशि म्हाडा अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के अधिकारातीत उद्देश्यों के लिए बनाए गए फर्जी किराएदारों के लिए

बिक्रीयोग्य क्षेत्र में निर्माण के लिए खर्च किए गए व्ययों का अनुपात दर्शाती है, ₹ 37.10 करोड़ की आय पर संवीक्षा के बाद निर्धारण वर्ष 09 के लिए **लेयर एक्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड** का निर्धारण दिसम्बर 2009 में पूरा किया। अपीलीय आदेश का पालन करते समय, निर्धारण अधिकारी ने सीआईटी (ए) द्वारा अनुमत ₹ 1.11 करोड़ की रियायत के बजाय पूरे ₹ 6.67 करोड़ की अननुमत राशि की अनुमति दे दी। त्रुटि के परिणामस्वरूप, ₹ 5.56 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ब्याज सहित ₹ 2.33 करोड़ का कर कम लगाया गया। मंत्रालय ने गलती को स्वीकार किया और धारा 154 के अन्तर्गत सुधार किया (फरवरी 2010)।

3.2.5.2 सीआईटी-1 जोधपुर प्रभार, राजस्थान में, निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण वर्ष 05 के लिए **जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड** के मामले में दिसम्बर 2010 में अपीलीय आदेश का पालन करते समय, निर्धारित द्वारा दिसम्बर 2006 में अपनी हानि की संशोधित रिटर्न प्रस्तुत करते समय दर्शायी गई ₹ 5.90 करोड़ के शुद्ध लाभ की राशि पर विचार नहीं किया। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 5.90 करोड़ तक की हानि की अधिक गणना हुई जिसमें ₹ 2.12 करोड़ का संभावित कर प्रभाव सम्मिलित था।

3.3 कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन

3.3.1 अधिनियम अध्याय VI-ए के अन्तर्गत और इसके सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत व्यय के कुछ वर्गों के लिए निर्धारित को कुल आय की गणना में रियायतें/छूटें/कटौतियाँ अनुमत की गई हैं। हमने पाया कि निर्धारण अधिकारियों ने उन लाभार्थियों को अनियमित रूप से कर रियायतों/छूटें/कटौतियों के लाभ दिए थे जो इनके हकदार नहीं थे। इन मामलों से आयकर विभाग में कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के कर प्रशासन की कमियों का पता चलता है जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। तालिका 3.3 वह उप श्रेणियाँ दर्शाती है जिन्होंने कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के प्रशासन को प्रभावित किया है।

तालिका 3.3: कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के प्रशासन के अन्तर्गत त्रुटियों की उप-श्रेणियाँ
₹ करोड़ में

उप-श्रेणियाँ	संख्या	टीई	राज्य
क. मूल्यहास/कारोबारी हानियाँ/पूँजीगत हानियाँ अनुमत करने में अनियतताएं	79	706.52	आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल
ख. अनियमित रियायतें/कटौतियाँ/छूटें/ राहत	56	266.21	आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, और पश्चिम बंगाल
ग. कारोबारी व्यय के गलत भत्ते	27	439.99	आंध्र प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल
जोड़	162	1,412.72	

3.3.2 मूल्यहास और कारोबारी/पूँजीगत हानियों का समंजन और अग्रेषण अनुमत करने में अनियमितताएं

हम ऐसे चार मामले सोदाहरण नीचे दे रहे हैं :

जहाँ हानि प्रासंगिक वर्ष के किसी भी शीर्ष के अन्तर्गत आय के प्रति पूरी तरह से समंजित नहीं हुई तो समंजित न हुई हानि की सीमा तक को अनुवर्ती निर्धारण वर्ष में समंजन के लिए हानि अग्रेषित करने का प्रावधान धारा 72 में है।

3.3.2.1 सीआईटी पटियाला प्रभार, पंजाब में, निर्धारण अधिकारी ने जनवरी 2011 में (प्रारंभ में दिसम्बर 2010 में संवीक्षा के बाद पूरे किए गए) निर्धारण वर्ष 09 के लिए पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड के निर्धारण का संशोधन किया जिसमें ₹ 5483.60 करोड़ के बजाय ₹ 6148.40 करोड़ की हानि का अग्रेषण अनुमत किया गया। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 664.80 करोड़ की हानि का अधिक अग्रेषण हुआ जिसमें ₹ 225.97 करोड़ का संभावित कर प्रभाव सम्मिलित था। आयकर विभाग ने धारा 154 के अन्तर्गत गलती का सुधार किया (मई 2011)।

धारा 73 अन्य प्रत्याशित व्यवसाय के लाभ और मुनाफे के प्रति केवल किसी प्रत्याशित हानि के समंजन का प्रावधान करती है। अन्य कम्पनियों के शेयरों की खरीद और बिक्री के अन्तर्गत स्पष्टीकरण के अनुसार, इसे प्रत्याशित व्यवसाय इस सीमा तक कहा जा सकता है कि व्यवसाय में ऐसे शेयरों की खरीद और बिक्री होती है।

3.3.2.2 सीआईटी-IV मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में निर्धारण अधिकारी ने ₹ 401.55 करोड़ की आय पर मार्च 2009 में संवीक्षा के बाद निर्धारण वर्ष 08 के लिए मुख्य रूप से शेयर ब्रोकिंग, शेयरों के लेन-देन और व्युत्पन्नो, पब्लिक इश्यू की मार्केटिंग इत्यादि के व्यवसाय में लगे कोटक सिक््यूरिटीज़ लिमिटेड का निर्धारण पूरा किया जिसमें वायदे और विकल्पों से ₹ 105.95 करोड़ की गैर प्रत्याशित आय के प्रति शेयरों के लेन-देन से ₹ 39.37 करोड़ की प्रत्याशित हानि का समंजन अनुमत किया। इसके अलावा, निर्धारण अधिकारी ने शेयरों के लेन-देन के लिए उत्तरदायी ₹ 7.88 करोड़ का व्यय भी अनुमत किया जो सही नहीं था। गैर प्रत्याशित आय के प्रति इसके लिए उत्तरदायी व्ययों सहित प्रत्याशित हानि के समंजन को अस्वीकार करने में चूक के परिणामस्वरूप अधिभार, ब्याज इत्यादि सहित ₹ 47.25 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 34.30 करोड़ का कर प्रभाव सम्मिलित था। मंत्रालय ने स्वीकार किया और धारा 148 के अन्तर्गत गलती में सुधार के लिए नोटिस जारी किया।

धारा 32(2)(बी) अनुवर्ती निर्धारण वर्षों में अनावशोषित ह्रास के समंजन का प्रावधान करती है जो अनुवर्ती निर्धारण वर्ष के तुरन्त बाद के आठ निर्धारण वर्षों से अधिक न हो और जिनके लिए उपरोक्त भत्ते की गणना पहले की गई हो।

3.3.2.3 सीआईटी-1 चेन्नई प्रभार, तमिलनाडु में निर्धारण अधिकारी ने "शून्य" आय पर दिसम्बर 2009 में संवीक्षा के बाद निर्धारण वर्ष 08 के लिए **विसाका सीमेंट इन्डस्ट्री लिमिटेड** के निर्धारण को पूरा करते समय, अन्य बातों के साथ-साथ निर्धारण वर्ष 01 और निर्धारण वर्ष 03 के संबंध में क्रमशः ₹ 15.07 करोड़ और ₹ 24.10 करोड़ की हानि को अग्रेषित करने के साथ ₹ 21.48 करोड़ की व्यवसायिक हानि का समंजन अनुमत किया जबकि निर्धारिती ने रिटर्न देय तिथि के बाद भरी थी। इसके अलावा, निर्धारण अधिकारी ने आठ वर्षों से अधिक पुराने निर्धारण वर्ष 2000 के लिए ₹ 16.45 करोड़ का अनावशोषित मूल्यह्रास भी अनुमत किया। चूकों के परिणामस्वरूप, गलत समंजन और ₹ 40.60 करोड़ की व्यवसायिक हानि और ₹ 36.50 करोड़ का अनावशोषित मूल्यह्रास अग्रेषित हुए जिसमें ₹ 25.95 करोड़ का संभावित कर प्रभाव शामिल था।

धारा 32(1) (ii ए) 31 मार्च 2005 के बाद अधिग्रहित और संस्थापित नई मशीनरी या संयंत्र (जहाजों और वायुयानों के अलावा) और जो किसी वस्तु या सामान के निर्माण या उत्पादन के व्यवसाय में लगाई गई हो की वास्तविक लागत के बीस प्रतिशत की निर्धारित दर पर अतिरिक्त मूल्यह्रास का प्रावधान करती है।

3.3.2.4 सीआईटी सम्बलपुर प्रभार, ओडिशा में निर्धारण अधिकारी ने दिसम्बर 2009 में संवीक्षा के बाद निर्धारण वर्ष 08 के लिए कोयले के उत्खनन में लगी **महानदी कोलफील्डस लिमिटेड** का निर्धारण पूरा करते समय कर लेखापरीक्षक के दृष्टिकोण के आधार पर कि कोयला खनन एक निर्माण या उत्पादन प्रक्रिया है, नए संयंत्र और मशीनरी पर ₹ 32.09 करोड़ का अतिरिक्त मूल्यह्रास अनुमत किया। किन्तु खनन कार्य न्यायिक निर्णय³¹ के दृष्टिगत निर्माण या उत्पादन प्रक्रिया के रूप में नहीं माना जाता है। इस प्रकार, निर्धारिती अतिरिक्त मूल्यह्रास के लिए योग्य नहीं था। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 32.09 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 14.36 करोड़ तक का कर कम लगा। मंत्रालय ने स्वीकार नहीं किया किन्तु धारा 148 के अन्तर्गत गलती में सुधार के लिए नोटिस जारी किया।

³¹ सीआईटी बनाम गोमवेश ग्रेनाइट्स (118 टेक्समेन 141) (मद्रास) और लक्की मिनरल्स (प्रा.) लिमिटेड बनाम सीआईटी 226-आईटीआर-245 (राज.)

3.3.3 अनियमित छूटें/कटौतियाँ/रियायतें/राहत

हम एक ऐसा मामला सोदाहरण नीचे दे रहे हैं :

अध्याय VI ए और धारा 10 में निर्धारिती की कुल आय की गणना में कुछ कटौतियों/छूटों का प्रावधान है बशर्ते उसमें दी गई कुछ शर्तों को पूरा किया जाए। धारा 80 आईए में संरचनात्मक विकास में लगे औद्योगिक उपक्रमों या उद्यमों से लाभ या मुनाफे के संबंध में 100 प्रतिशत कटौती का प्रावधान है।

3.3.3.1 सीआईटी मध्य हैदराबाद प्रभार, आंध्र प्रदेश में, निर्धारण अधिकारी ने ₹ 78.55 करोड़ की कुल आय को नवम्बर 2008 में धारा 153 (ए) के साथ पठित संवीक्षा के बाद निर्धारण वर्ष 07 के लिए **नवयुग इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड** के निर्धारण को पूरा किया जिसमें निर्धारिती कम्पनी द्वारा अपनी सहायक कम्पनी से निर्मित सड़क पुल के निर्माण के बिक्री प्रतिफल से प्राप्त ₹ 125 करोड़ की छूट अनुमत की थी। निर्धारिती कम्पनी को सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना मोड में बीओटी योजना के अन्तर्गत पुल का निर्माण कार्य दिया गया था और स्वयं आंध्र प्रदेश सरकार के पास परिसम्पत्ति का स्वामित्व निहित था, इसकी सहायक कम्पनी को पुल का स्थानांतरण सही नहीं था और इस प्रकार ₹ 125 करोड़ के पूरे बिक्री प्रतिफल को कर के शीर्ष "अन्य स्रोतों के आय" के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए था। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 125 करोड़ के गलत भत्ते की छूट में ₹ 55.45 करोड़ का कम कर लगा। आयकर विभाग ने यह कह कर आपत्ति को स्वीकार नहीं किया (नवम्बर 2010) कि यह उसकी सहायक कम्पनी को टोल के संग्रहण के अधिकार" के हस्तांतरण का मामला था और इसके परिणामस्वरूप लाभ पर अधिनियम की धारा 47 (iv) के अनुसार कर नहीं लगेगा। उत्तर इस आधार पर तर्कसंगत नहीं है कि 10.06.1999 को निर्धारिती और आंध्र प्रदेश सरकार के बीच किए गए "समझौते" के पैराग्राफ 1.8 में ऐसे हस्तांतरण का प्रावधान नहीं था।

3.3.4 कारोबारी व्यय की गलत अनुमति

हम ऐसे चार मामले सोदाहरण नीचे दे रहे हैं :

धारा 35 डीडीए में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के लिए भुगतान के माध्यम से किए गए किसी व्यय के पांचवें भाग की कटौती और बकाया का अनुवर्ती पिछले वर्षों के तुरंत बाद प्रत्येक के लिए चार बराबर किस्तों का प्रावधान है।

3.3.4.1 सीआईटी-II कोलकाता, पश्चिम बंगाल में निर्धारण अधिकारी ने "शून्य" आय के लिए अगस्त 2008 (प्रारंभ में दिसम्बर 2006 में संवीक्षा के बाद पूर्ण) में निर्धारण वर्ष 05 के लिए **हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड** के निर्धारण के संशोधन के समय अन्य बातों के साथ-साथ निर्धारण वर्ष 03 से संबंधित वीआरएस के अन्तर्गत ₹ 84.59 करोड़ का परिशोधित व्यय अनुमत किया। तथापि, मई 2008 में सीआईटी (अपील) के आदेश के आलोक में ₹ 84.59 करोड़ के व्यय को कम करके ₹ 1.45 करोड़ (वीआरएस व्यय का

पाँचवा भाग होने के कारण ₹ 7.27 करोड़ अनुमत किया गया) कर दिया गया है, पर विचार नहीं किया गया था। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 83.13 करोड़ के अधिक भत्ते का व्यय हुआ जिसमें ₹ 29.82 करोड़ का संभावित कर सम्मिलित था।

धारा 43बी में कुछ व्ययों के लिए कटौती का प्रावधान केवल तभी है जब आय का रिटर्न फाइल करने की देय तिथि पर या उससे पूर्व उसके पिछले वर्ष में वास्तव में भुगतान किया गया हो।

3.3.4.2 सीआईटी-I चेन्नई प्रभार, तमिलनाडु में निर्धारण अधिकारी ने दिसम्बर 2009 और नवम्बर 2010 में संवीक्षा के बाद निर्धारण वर्ष 08 और 09 के लिए क्रमशः ₹ 1445.17 करोड़ और ₹ 3306.53 करोड़ की हानि पर **तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड** का निर्धारण पूरा करते समय व्यय के रूप में ₹ 459.86 करोड़ और ₹ 462.98 करोड़ का विद्युत कर अनुमत किया जबकि निर्धारिती ने सरकार को इसका भुगतान ही नहीं किया था। त्रुटि के परिणामस्वरूप कुल ₹ 922.84 करोड़ के व्यय की गलत अनुमति दी गई जिसमें ₹ 312.16 करोड़ का संभावित कर प्रभाव सम्मिलित था। *मंत्रालय ने गलती को स्वीकार किया और धारा 154 के अन्तर्गत सुधार किया (जनवरी 2012)।*

3.3.4.3 सीआईटी- II मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में निर्धारण अधिकारी ने दिसम्बर 2010 में निर्धारण वर्ष 09 के लिए **बैंक आफ इंडिया** के निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय, छुट्टी नगदीकरण के लिए ₹ 63.17 करोड़ का प्रावधान अनुमत किया जो अप्रदत्त रहा जबकि इसे अनुमत नहीं किया जाना चाहिए था। त्रुटि के परिणामस्वरूप, ₹ 63.17 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ब्याज सहित ₹ 28.56 करोड़ का कर कम लगाया गया था। *मंत्रालय ने स्वीकार किया और धारा 154 के अन्तर्गत गलती का सुधार किया (अप्रैल 2012)।*

धारा 35 ई में किसी खनिज के खनन अथवा उत्पाद की सम्भावना सम्बन्धी वाणिज्यिक गतिविधियों से प्राप्त आय को शून्य तक (धारा 35 ई के अन्तर्गत छूट अनुमत किए जाने से पूर्व) घटाने के लिए व्यय की पर्याप्त कुल राशि के दसवें हिस्से से कम की छूट का प्रावधान है।

3.3.4.4 सीआईटी, आसनसोल प्रभार, पश्चिम बंगाल के निर्धारण अधिकारी ने शून्य आय पर दिसम्बर 2007 में संवीक्षा के बाद निर्धारण वर्ष 06 के लिए **ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड** का निर्धारण पूरा करते समय, ₹ 148.20 करोड़ (आर्थिक सहायता, जमा पर ब्याज इत्यादि सहित) की आय के प्रति धारा 35ई के अन्तर्गत ₹ 42.30 करोड़ की कटौती अनुमत की जोकि कटौती के योग्य पूर्वानुमान के लिए, या किसी खनिज की निकासी या उत्पादन से संबंधित कार्य से प्राप्त नहीं थी। कटौती की अनियमित स्वीकृति के परिणामस्वरूप बराबर की राशि की हानि का अधिक अग्रेषण हुआ जिसमें ₹ 15.48 करोड़ का संभावित कर प्रभाव सम्मिलित था। *मंत्रालय ने स्वीकार किया और धारा 147 के अन्तर्गत गलती को सुधारा (दिसम्बर 2010)।*

3.4 चूकों के कारण निर्धारण से बचने वाली आय

3.4.1 अधिनियम एक व्यक्ति की किसी भी पिछले वर्ष की कुल आय को किसी भी स्रोत से प्राप्त, वास्तव में प्राप्त या उपार्जित या प्राप्त या उपार्जित मानी जाने वाली सभी आय में सम्मिलित करने का प्रावधान करता है। हमने पाया कि निर्धारण अधिकारियों ने कर के लिए प्रस्तावित कुल आय का निर्धारण नहीं किया/कम निर्धारण किया। तालिका 3.4 उन उप श्रेणियों को दर्शाती है जो आय को निर्धारण से बचाने के कारण बने।

तालिका 3.4: त्रुटियों के कारण निर्धारणों से बचने वाली आय के अन्तर्गत गलतियों की उप श्रेणियाँ
₹ करोड़ में

उप-श्रेणियाँ	सं.	टीई	राज्य
क. विशेष प्रावधान के अन्तर्गत आय का निर्धारण नहीं करना	37	215.00	आंध्र प्रदेश, चण्डीगढ़ (यूटी), दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल
ख. सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत आय का निर्धारण नहीं करना	25	116.54	आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल
ग. पूंजीगत मुनाफे का गलत वर्गीकरण और गणना	4	5.98	केरल, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल
जोड़	66	337.52	

3.4.2 विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत आय का निर्धारण नहीं करना/कम निर्धारण करना

हम ऐसे तीन मामले सोदाहरण नीचे दे रहे हैं :

धारा 115 जेबी में दर्ज लाभ की निर्धारित प्रतिशतता पर एमएटी लगाने का प्रावधान है यदि सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत कुल आय पर देय कर ऐसे कुछ जोड़ और घटा के रूप में निर्धारित करने के बाद प्राप्त दर्ज लाभ की प्रतिशतता से कम हों। 1 अप्रैल 2001 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त (सं.2) अधिनियम 2009 द्वारा समाविष्ट धारा 115 जेबी (2) के स्पष्टीकरण 1 में दर्ज लाभ की गणना करते समय लाभ की परिसम्पत्तियों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान के रूप में अलग की गई राशि (यों) को जोड़ने का प्रावधान है। इसी प्रकार, भारत में या विदेश में चुकाए गए आय कर को जोड़ने का भी प्रावधान है।

3.4.2.1 सीआईटी- II मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, निर्धारण अधिकारी ने मार्च 2011 में (प्रारंभ में ₹ 996.97 करोड़ की आय पर दिसम्बर 2004 में संवीक्षा के बाद पूर्ण) निर्धारण वर्ष 03 के लिए **बैंक आफ इंडिया** के निर्धारण का पुनरीक्षण करते समय सामान्य प्रावधानों के तहत सीआईटी (ए) के आदेश को अधिनियम में संशोधन के दृष्टिगत प्रभावी करते समय विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत कर देयता की गणना नहीं की। विभिन्न प्रावधानों को जोड़ने के बाद विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत कर देयता सम्पत्ति के मूल्य में कमी की दिशा में डेबिट कर सामान्य प्रावधान के तहत लगाए जाने पर

₹ 86.55 करोड़ के बजाय ₹ 99.83 करोड़ बनता था। विशेष प्रावधानों के तहत लगाए जाने वाले कर में त्रुटि के परिणामस्वरूप एमएटी क्रेडिट की वापसी और धारा 244ए के तहत ब्याज सहित ₹ 46.23 करोड़ का कर कम लगाया गया।

3.4.2.2 सीआईटी- II मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में निर्धारण अधिकारी ने नवम्बर 2009 में (प्रारंभ में सामान्य प्रावधानों के तहत ₹ 42.54 करोड़ की कुल आय पर मार्च 2005 में संवीक्षा के बाद पूर्ण) ₹ 7.97 करोड़ की दीर्घावधि पूंजीगत हानि सहित ₹ 27.85 करोड़ की हानि पर निर्धारण वर्ष 04 के लिए **इंडसइंड बैंक लिमिटेड** के निर्धारण का पुनरीक्षण करते समय, धारा 254 के अन्तर्गत अपीलीय आदेश का पालन करते समय एमएटी से संबंधित प्रावधानों को लागू नहीं किया। एमएटी से संबंधित विशेष प्रावधानों को लागू करने में त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 24.99 करोड़ का कर नहीं लग सका। मंत्रालय ने स्वीकार किया और धारा 263 के अन्तर्गत गलती में सुधार किया।

दर्ज लाभ की गणना करते समय आय की राशि के लिए धारा 10 (निर्धारण वर्ष 06 से धारा 10(23जी) के तहत निहित प्रावधान नहीं) या 10ए या 10बी या 11 या 12 के किसी भी प्रावधान को हटाया जा सकता है, यदि ऐसी राशि को लाभ और हानि खाते में क्रेडिट किया जाता है।

3.4.2.3 सीआईटी- II मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में निर्धारण अधिकारी ने ₹ 18.59 करोड़ की हानि पर निर्धारण वर्ष 07 के लिए **देना बैंक लिमिटेड** के मुनाफा वसूली की गणना करते समय धारा 154 के तहत परिशोधन के समय मार्च 2010 में ₹ 2.08 करोड़ के इन्फ्रास्ट्रक्चर बांड पर ब्याज, ₹ 154.36 करोड़ के इन्फ्रास्ट्रक्चर अवधि ऋण पर ब्याज कम किया (धारा 10(23जी) के तहत छूट) और ₹ 42.92 करोड़ की मानक परिसम्पत्तियों का प्रावधान कम किया। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 180.77 करोड़ की मुनाफा वसूली का कम निर्धारण हुआ जिसमें ब्याज सहित ₹ 20.09 करोड़ का कम कर सम्मिलित था। मंत्रालय ने स्वीकार किया और धारा 263/253/154 के अन्तर्गत गलती में सुधार किया (फरवरी 2012)।

सामान्य प्रावधानों के तहत आय का निर्धारण न करना/कम निर्धारण करना।

3.4.3 हम ऐसे दो मामले सोदाहरण नीचे दे रहे हैं :

धारा 5 में किसी भी पिछले वर्ष के लिए एक व्यक्ति की कुल आय जिसमें किसी भी स्रोत से प्राप्त सभी आय को सम्मिलित किया जाता है जो कि प्राप्त की गई या प्राप्त मानी गई या जो ऐसे पिछले वर्ष के दौरान उपचित या प्राप्त हुई हो, जब तक कि अधिनियम के प्रावधानों के तहत कर से विशिष्ट रूप से छूट प्राप्त न हो।

3.4.3.1 सीआईटी- IV अहमदाबाद प्रभार, गुजरात में, निर्धारण अधिकारी ने ₹ 417.68 करोड़ की आय पर दिसम्बर 2008 में संवीक्षा के बाद निर्धारण वर्ष 07 के लिए **वोडाफोन एस्सार (गुजरात) लिमिटेड** का निर्धारण पूरा करते समय कुल आय में पूर्व दत्त सेवाओं के लिए उसके उपभोक्ताओं से प्राप्त ₹ 108.52 करोड़ के बिक्री

2013 की प्रतिवेदन संख्या 15 (प्रत्यक्ष कर)

प्रतिफल को जिसे निर्धारिती कम्पनी ने तुलन विवरण में चालू परिसम्पत्तियों से संबंधित अनुसूची 10 में "अग्रिम आय" (पूर्वदत्त) के रूप में दर्शाया था को सम्मिलित नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 108.52 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 48.58 करोड़ का कम कर सम्मिलित था। आयकर विभाग ने 147 के साथ पठित धारा 143 (3) के तहत गलती में सुधार किया (दिसम्बर 2011)।

धारा 2(22)(ई) के अनुसार किसी ऐसी कम्पनी जिसमें जनता की अधिक रूचि न हो द्वारा कम्पनी के मतदान में 10 प्रतिशत से अधिक के लाभप्रद अंशधारी को या किसी उस व्यक्ति को जिसमें वह व्यापक रूप से रूचि लेती हो को दिया गया ऋण कम्पनी द्वारा प्रदत्त उस सीमा तक लाभांश होगा जहां तक कम्पनी लाभ संग्रहित कर सकती है। ऐसा लाभांश धारा 115ओ के अधीन लाभांश वितरण कर के अध्वधीन नहीं है तथा यह कर योग्य आय है।

3.4.3.2 सीआईटी- I कोलकाता, पश्चिम बंगाल के निर्धारण अधिकारी ने ₹ 23.66 लाख की आय पर दिसम्बर 2009 में संवीक्षा के बाद निर्धारण वर्ष 08 के लिए ज़ेनितिस टेक्नोलेब (प्रा.) लिमिटेड का निर्धारण पूरा करते समय ज़ेनितिस इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड से ₹ 28.56 करोड़ के अग्रिम शेष को निर्धारिती के पास माने गए लाभांश के रूप में नहीं लिया, जबकि ऐसे प्रतिफल हेतु परिस्थितियाँ पूरी तरह से संतोषजनक थीं। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 28.56 करोड़ की आय का निर्धारण कम हुआ जिसमें ब्याज सहित ₹ 12.79 करोड़ का कर कम लगाया गया था। आयकर विभाग ने धारा 144/263 के अन्तर्गत गलती में सुधार किया (दिसम्बर 2011)।

3.4.4 पूंजीगत लाभ का गलत वर्गीकरण और संगणना

हम एक ऐसा मामला सोदाहरण नीचे दे रहे हैं :

धारा 74 में अनुबंध है कि किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में, जहाँ भी पूंजीगत लाभ शीर्ष के अन्तर्गत संगणना का शुद्ध परिणाम हानि हो, पूरी हानि को अगले निर्धारण वर्ष में अग्रेषित किया जाएगा और दीर्घावधि पूंजीगत परिसम्पत्ति से संबंधित हानि में इसका दीर्घावधि पूंजीगत लाभ के प्रति समंजन होगा।

3.4.4.1 सीआईटी- II मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, निर्धारण अधिकारी ने विशेष प्रावधानों के तहत ₹ 136.22 करोड़ के दर्ज लाभ के साथ फरवरी 2008 में धारा 154 के तहत निर्धारण वर्ष 06 (प्रारंभ में ₹ 79.09 करोड़ की आय पर दिसम्बर 2007 में संवीक्षा के बाद पूर्ण) के लिए टाटा इन्डस्ट्रीज़ लिमिटेड के निर्धारण को संशोधित किया और सामान्य प्रावधानों के तहत ₹ 46.45 करोड़ के दीर्घावधि पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) की गणना की। एलटीसीजी की गणना करते समय, निर्धारण अधिकारी ने ₹ 22.82 करोड़ की दीर्घावधि पूंजीगत हानि (एलटीसीएल) का समंजन नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 22.82 करोड़ के एलटीसीएल का अधिक अग्रेषण हुआ जिसमें ₹ 2.39 करोड़ का संभावित कर प्रभाव सम्मिलित था। आयकर विभाग ने धारा 154 के अन्तर्गत गलती में सुधार किया (अप्रैल 2011)।

3.5 कर/ब्याज का अधिप्रभार

3.5.1 हमने पाया कि निर्धारण अधिकारियों ने नौ मामलों में आय का अति निर्धारण किया जिसमें दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब और पश्चिम बंगाल में ₹ 35.06 करोड़ का कर अधिक प्रभारित हुआ। हम ऐसा एक मामला सोदाहरण नीचे दे रहे हैं :

3.5.1.1 सीआईटी-एलटीयू प्रभार, दिल्ली में दिसम्बर 2010 में ₹ 406.28 करोड़ की आय पर धारा 154 के तहत, निर्धारण वर्ष 09 (प्रारंभ में ₹ 880.92 करोड़ की आय पर दिसम्बर 2010 में संवीक्षा के बाद पूर्ण) के लिए **द ओरियंटल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड** के निर्धारण का पुनरीक्षण करते समय, निर्धारण अधिकारी ने ₹ 1.47 करोड़ के टीडीएस का और ₹ 65 करोड़ के अग्रिम कर का लाभ नहीं दिया और धारा 234बी के तहत ₹ 45.57 करोड़ का ब्याज लगाया। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 21.94 करोड़ का ब्याज अधि प्रभारित हुआ। *आयकर विभाग ने धारा 154 के अन्तर्गत सुधारात्मक कार्रवाई की (मार्च 2012)।*